

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग)
के अन्तर्गत गैर-सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स
पर प्रवेश, भौतिक सत्यापन व विद्यालयों की फीस
के पुनर्भरण के लिए दिशा-निर्देश
(सत्र 2024-25 से प्रभावी)

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	पृष्ठभूमि	3
2	आरटीई अधिनियम के अनुसार निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश प्रक्रिया	4-12
3	भौतिक सत्यापन प्रक्रिया	13-17
4	पुनर्भरण प्रक्रिया	18
5	परिशिष्ट:-	
	01.आदेश / परिपत्रों का सारांश	19
	02.प्रवेश के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप	20-21
	03.प्रवेश प्रक्रिया संबंधी उदाहरण	22
	04.समान्यतया पूछे जाने वाले प्रश्न	23
	05.परिशिष्ट- 5 (निवास के संबंध में)	24

अध्याय-1 : पृष्ठभूमि

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राज्य में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, जिसकी धारा 12(1)(ग) के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एन्ट्री लेवल कक्षा की 25 प्रतिशत सीट्स पर "दुर्बलवर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालक-बालिकाओं को प्रवेश देकर कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी। गैर सरकारी विद्यालयों को बालकों की फीस का पुनर्भरण अधिनियम की धारा 12(2) तथा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के अनुसार सरकार द्वारा किया जाता है।

राज्य में इस प्रावधान के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 2012-13 से प्रवेश दिये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार पात्र प्रवेशार्थियों की फीस का पुनर्भरण भी किया जा रहा है।

राज्य में लगभग 40,000 गैर सरकारी विद्यालय संचालित हैं। इन सभी गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया को नियमानुसार सम्पन्न करवाना, समय पर पुनर्भरण करवाना एवं समस्त कार्य की मॉनिटरिंग करवाने का कार्य श्रमसाध्य है। इसको दृष्टिगत रखते हुये सत्र 2013-14 से राज्य सरकार ने यह सम्पूर्ण कार्य ऑन लाइन किये जाने का निर्णय लिया।

स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा NIC के सहयोग से वेब पोर्टल का निर्माण किया तथा सत्र 2013-14 से प्रवेश, भौतिक सत्यापन की मॉनिटरिंग व पुनर्भरण की प्रक्रिया को ऑन लाइन किया गया। समस्त कार्यों को ऑन लाइन करने से अभिभावकों, विद्यालयों व शिक्षा विभाग के कार्यालयों का कार्य भार तो कम हुआ ही साथ ही समस्त व्यवस्थाओं में पारदर्शिता भी स्थापित हुई। वर्ष 2023-24 के दौरान विद्यालयों में प्रवेश, भौतिक सत्यापन व पुनर्भरण में अनुभव की गयी कुछ समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए आंशिक संशोधित दिशा निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं।

ये दिशा-निर्देश गैर सरकारी विद्यालयों, माता-पिता एवं अभिभावकों तथा विभागीय अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दिशा निर्देश शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राज्य नियम, 2011 तथा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/आदेश/परिपत्रों के आधार पर तैयार किये गये हैं। यदि इनमें और मूल अधिनियम/नियम/अधिसूचना/निर्देश/आदेश में कोई विसंगति हो तो मूल अधिनियम/नियम/अधिसूचना/निर्देश/आदेश ही मान्य होंगे।

अध्याय-2:प्रवेश प्रक्रिया

01. एन्ट्री लेवल कक्षा में प्रवेश – निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राज्य नियम 2011 के प्रावधानों की पालना में प्रत्येक निजी विद्यालय को अपने विद्यालय में संचालित एन्ट्री कक्षा तथा कक्षा-1 में उस कक्षा में प्रविष्ट कुल विद्यार्थियों की संख्या के 25 प्रतिशत की सीमा तक “दुर्बल वर्ग” एवं “असुविधाग्रस्त समूह” के विद्यार्थियों को निःशुल्क पूर्व प्राथमिक शिक्षा (PP3+) एवं कक्षा-1 हेतु प्रवेश देना होगा। इसके लिए उन्हें निर्धारित टाईम फ्रेम के अनुसार कार्य पूर्ण करना होगा। निःशुल्क एवं सःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालक-बालिकाओं में से जो बालक-बालिका विद्यालय छोड़ चुके हैं या टी.सी. ले जा चुके हैं उनके नामों को पोर्टल से हटाया जाना अनिवार्य है। निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के समय यह ध्यान रखा जाएगा कि कक्षा-1 में क्रमोन्नत एवं नवीन प्रवेशित बालकों में से निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालकों की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, परन्तु किसी भी स्थिति में क्रमोन्नत निःशुल्क अध्ययनरत बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकेगा। निःशुल्क व सशुल्क बालकों का अनुपात निम्नानुसार रहेगा:-

कक्षा	सःशुल्क बालकों की संख्या	निःशुल्क बालकों की संख्या
PP3+	समस्त नवप्रवेशित सशुल्क बालक	समस्त नवप्रवेशित सशुल्क बालक / 3
First	PP5+ से क्रमोन्नत + नवप्रवेशित बालक	(पीपी5 से क्रमोन्नत सशुल्क बालक + नवप्रवेशित सशुल्क बालक) / 3 – पीपी5 से क्रमोन्नत निःशुल्क बालक

02. प्रवेश के लिए पात्रता –आरटीई अधिनियम के अन्तर्गत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के लिए बालकों की पात्रता की शर्तें निम्न प्रकार होंगी :-

2.1 बालक गैर सरकारी विद्यालय के आस-पास के परिक्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में निवास करने वाला होना चाहिए:-राज्य के आरटीई नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र (कैचमेंट एरिया) शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात् नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक-बालिकाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड/गांव में स्थित है, वहाँ से वांछित संख्या में बालक-बालिका उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शेष शहरी निकाय/ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में विद्यालय से सम्बन्धित शहरी निकाय/ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक-बालिका उस विद्यालय में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

2.2 बालक “दुर्बल वर्ग” या “असुविधाग्रस्त समूह” से संबंधित होना चाहिए :-

2.2.1 दुर्बल वर्ग- राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक No-21(19)Edu.-1/E.E/2009 जयपुर, दिनांक 18 मई 2020 के अनुसार “दुर्बल वर्ग” में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-

(a) ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम है।

2.2.2 असुविधाग्रस्त समूह-राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक No-21(19)Edu.-1/E.E/2009 जयपुर, दिनांक 18 मई, 2020 के अनुसार “असुविधाग्रस्त समूह” में निम्नलिखितसम्मिलित हैं-

(a) अनुसूचित जाति के बालक

(b) अनुसूचित जन जाति के बालक

(c) अनाथ बालक

(d) एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित माता-पिता/ संरक्षक के बालक

(e) युद्ध विधवा के बालक

(f) निःशक्त बालक जो निःशक्त व्यक्ति ("Person with benchmark disability" की परिभाषा जो केन्द्र सरकार के Right of person with disability Act, 2016 की धारा 2(r) में वर्णित है) सम्मिलित हो।

(g) पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या उससे अधिक नहीं हो।

(h) ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग/शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई, बी.पी.एल सूची (केन्द्रीय सूची और राज्य सूची) में सम्मिलित है।

2.3 प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधी पात्रता:- एन्ट्री क्लास में प्रवेश हेतु बालक की आयु निम्नानुसार होगी:-

क्र.सं.	कक्षा का नाम	प्रवेश हेतु आयु
1	Pre Primary 3+ (PP.3+)	3 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 4 वर्ष से कम
4	First	6 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 7 वर्ष से कम

नोट-

01. विद्यालय में प्रवेश हेतु बालक-बालिका की न्यूनतम व अधिकतम आयु इस वर्ष **31 जुलाई, 2024** को पूर्ण होनी चाहिए।

2.4 निःशुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्र:- बालक/अभिभावक के निवास के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। निवास के सम्बन्ध में बालक/अभिभावक के अन्य वैधानिक दस्तावेजों के रूप में राशन कार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली का बिल (6 माह से पुराना नहीं हो)/पानी का बिल (6 माह से पुराना नहीं हो) भी मान्य होंगे। निवास के प्रमाण के रूप में इनमें से जो भी दस्तावेज दिया जा रहा है उसमें ग्राम/वार्ड का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। ग्राम/वार्ड का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने अथवा परिसीमन के कारण वार्ड परिवर्तन होने की स्थिति में संबंधित सरपंच/वार्ड पंच/पार्षद/बीएलओ तथा किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित अतिरिक्त दस्तावेज भी देना अनिवार्य होगा। (परिशिष्ट-5 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में)

2.5 निःशुल्क प्रवेश हेतु "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" से संबंधित प्रमाण पत्र:- "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" से सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए। एचआईवी या कैंसर से पीड़ित बालक/अभिभावक के सम्बन्ध में किसी रजिस्टर्ड डाइग्नोस्टिक केन्द्र द्वारा दी गयी रिपोर्ट मान्य होगी।

2.6 निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिये दस्तावेज:- प्रवेश के लिये आयु के सबूत के लिये जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में:-

(क) अस्पताल/सहायक नर्स और दाई (ए.एन.एम) रजिस्टर/अभिलेख

(ख) आँगनवाड़ी अभिलेख और

(ग) आधार कार्ड

उक्त में से कोई भी एक दस्तावेज निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिये मान्य होगा तथा दस्तावेज पर अंकित बालक की जन्म तिथि को ही अंतिम माना जाएगा परन्तु प्रवेश के उपरान्त भौतिक सत्यापन से पूर्व बालक का जन्म प्रमाण-पत्र बनवाकर विद्यालय में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा। प्रवेश उपरान्त जन्म तिथि में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2.7 विद्यालय द्वारा प्रोफाइल अपडेट करते समय सूचना 50 जिलों के आधार पर भरी जाये परन्तु निःशुल्क प्रवेश 33 जिलों के अनुरूप होंगे। अतः विद्यालय द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय बालक के आवेदन के साथ सलग्न निवास संबंधी दस्तावेज पूर्व जिले/ब्लॉक/ग्राम पंचायत के मान्य होंगे।

03. प्रवेश हेतु टाईम फ्रेम:-

राज्य के सभी गैर सरकारी विद्यालयों में आरटीई अधिनियम के अन्तर्गत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों के सम्पन्न होने की एकरूपता की दृष्टि से निम्नानुसार टाईम फ्रेम निर्धारित किया जाता है :-

क्र.सं.	विवरण/गतिविधि	टाईमफ्रेम	दायित्व निर्धारण
1	विज्ञापन जारी करना	दिशा-निर्देश जारी होने के तत्काल बाद	निदेशालय व सम्बन्धित निजी विद्यालय
2	संबंधित विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना	02 अप्रैल 2024 तक	संबंधित विद्यालय
3	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना।	03 अप्रैल 2024 से 21 अप्रैल 2024 तक	संबंधित अभिभावक

4	ऑनलाईन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालको का वरीयता क्रम निर्धारण करना	23 अप्रैल 2024	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
5	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना। (विद्यालय चयन क्रम को बदलना)	23 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2024 तक	अभिभावको द्वारा
6	विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की जांच करना (प्रथम चयनित विद्यालय द्वारा)	23 अप्रैल 2024 से 06 मई 2024 तक	गैर सरकारी विद्यालय
7	अभिभावक द्वारा दस्तावेजों में संशोधन करना।	23 अप्रैल 2024 से 12 मई 2024 तक	अभिभावको द्वारा
9	विद्यालय द्वारा Request किये जाने(बालक द्वारा दस्तावेज रि-अपलोड नहीं करने पर)/अभिभावक द्वारा संशोधन किये जाने पर सीबीईओ द्वारा जांच करना।	23 अप्रैल 2024 से 17 मई 2024 तक	सीबीईओ द्वारा
10	शेष समस्त आवेदन ऑटोवेरिफाई करना।	20 मई 2024	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
11	पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटीई सीट्स पर चयन करना (प्रथम चरण आवंटन)	21 मई 2024 से 25 जुलाई 2024 तक	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
12	पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटीई सीट्स पर चयन करना (द्वितीय चरण आवंटन)	26 जुलाई 2024 से 16 अगस्त 2024 तक	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
13	पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटीई सीट्स पर चयन करना (सशुल्क बालकों के प्रवेश एवं बालक के वरीयता के आधार पर) (अन्तिम चरण)	17 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 तक	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा

नोट:

- क्र.सं. 1 पर अंकित गतिविधि “**विज्ञापन जारी करना**” के लिए विभाग द्वारा दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापित प्रकाशित की जाती है साथ ही संबंधित विद्यालय समाचार पत्रों/स्वयं की वेब साइट/स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार हेतु नोटिस बोर्ड, सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन, पेम्पलेट आदि का उपयोग कर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे, जिससे विद्यालय में प्रवेश सम्बन्धी जानकारी आम नागरिकों तक पहुँच सके।
- संबंधित विद्यालय/कार्यालय/अभिभावक को उपरोक्त टाईम फ्रेम में गतिविधि के सामने अंकित तिथि के अनुसार कार्य अनिवार्य रूप से सम्पन्न करना होगा।
- विद्यालय प्रोफाईल को संबंधित **CBE0** द्वारा अपने लॉगिन में देखा जा सकेगा तथा टाईम फ्रेम द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व अपने परिक्षेत्र के समस्त गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा प्रोफाईल भरवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। अन्तिम तिथि को समस्त विद्यालयों का विद्यालय प्रोफाईल, पोर्टल द्वारा लॉक कर दिया जाएगा।
- ऐसे गैर सरकारी विद्यालय जो वर्तमान में संचालित नहीं है। उनकी सूचना संबंधित **CBE0** द्वारा में प्रबन्ध टेब के माध्यम से स्कूल की स्थिति (**close/open**) भरा जाये।
- विद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की जांच कर उन्हें सत्यापित किया जायेगा दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर विद्यालय द्वारा त्रुटि पूर्ण दस्तावेज पर आक्षेप लगाया जायेगा। यह आक्षेप अभिभावक एवं सीबीईओ लॉगिन पर प्रदर्शित होगा **साथ ही अभिभावक के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर संदेश(SMS) प्राप्त होगा।** अभिभावक द्वारा दस्तावेज को संशोधित कर सात दिवस में अपलोड करना होगा। संशोधित दस्तावेज सीबीईओ द्वारा जांच किया जायेगा तथा दस्तावेज को सत्यापित/संशोधित/रिजेक्ट किया जायेगा। जिन अभिभावकों द्वारा सात दिवस में संशोधित दस्तावेज अपलोड नहीं किये जायेंगे। उन आवेदनों की जांच हेतु **Request** सीबीईओ लॉगिन पर प्रदर्शित होगी, सीबीईओ द्वारा उक्त आवेदन में संलग्न दस्तावेजों की जांच कर आवेदन को सत्यापित/रिजेक्ट किया जायेगा। विद्यालय स्तर पर किसी भी आवेदन को रिजेक्ट नहीं किया जा सकेगा। शेष समस्त आवेदन जिन्हें विद्यालय द्वारा जांच नहीं किया गया है। **उन सभी बालकों के दस्तावेजो को सत्यापन की अन्तिम तिथि के पश्चात ऑटोवेरिफाई किया जायेगा।** सीबीईओ द्वारा उक्त कार्य निर्धारित टाईमफ्रेम में अनिवार्य रूप से किये जाये। जिशिअ प्रारम्भिक/माध्यमिक द्वारा इस कार्य की सत्त मोनेटरिंग की जाये।
- टाईमफ्रेम में निर्धारित तिथि को सभी गैर सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध आरटीई सीट्स पर बालकों का चयन कर दिया जायेगा।

07. प्रथम चरण के आवंटन में बालक द्वारा आवेदन/रिपोर्टिंग के समय किये गये विद्यालय चयन क्रम एवं विद्यालय में सशुल्क बालकों की प्रविष्टि के आधार प्रथम चयनित विद्यालय में निःशुल्क सीट्स पर चयन किया जायेगा।
08. द्वितीय चरण के आवंटन में बालक द्वारा आवेदन/रिपोर्टिंग के समय किये गये विद्यालय चयन क्रम एवं विद्यालय में सशुल्क बालकों की प्रविष्टि के आधार प्रथम चयनित विद्यालय में तथा प्रथम चयनित विद्यालय में सीट्स उपलब्ध नहीं होने पर द्वितीय विद्यालय में उपलब्ध सीट्स पर प्रवेश किया जायेगा।
09. अन्तिम चरण के आवंटन में बालक द्वारा आवेदन/रिपोर्टिंग के समय किये गये विद्यालय चयन क्रम एवं विद्यालय में सशुल्क बालकों की प्रविष्टि के आधार पर बालक द्वारा चयनित पाँचों विद्यालयों में से जिस विद्यालय में सीट्स उपलब्ध हो उसी विद्यालय में प्रवेश किया जायेगा।
10. बालक का चयन किसी भी विद्यालय में निःशुल्क बालक के रूप में हो जाता है। वह बालक अब किसी भी अन्य विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रदर्शित नहीं होगा।

04. आवेदन की प्रक्रिया:— शैक्षिक सत्र 2024–25 हेतु पीएसपी पोर्टल पर पंजीकृत गैर सरकारी विद्यालयों में **PP3+** तथा कक्षा-1 में आरटीई के तहत प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

4.1 अभिभावक द्वारा किये जाने वाले कार्य—

- 4.1.1 कोई भी अभिभावक अपने Catchment Area के गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है लेकिन यदि कोई विद्यालय केवल लड़कों अथवा केवल लड़कियों के लिए ही संचालित है उनमें क्रमशः केवल लड़कों अथवा केवल लड़कियों का प्रवेश ही संभव है।
- 4.1.2 अभिभावक प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल www.rajpsp.nic.in को एक्सेस कर आवेदन कर सकते हैं। अभिभावकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भी दी गई है। अभिभावक गूगल प्ले स्टोर से **“राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप”** डाउनलोड कर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- 4.1.3 सर्वप्रथम अभिभावक को प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल www.rajpsp.nic.in को एक्सेस कर बालक एवं स्वयं के सम्बन्ध में पात्रता सम्बन्धी आवश्यक सूचनाएँ प्रविष्ट करनी होंगी। आवेदन में बालक के आधार नंबर अथवा आधार पंजीयन नंबर (16 अंको का नंबर) तथा मोबाइल नम्बर प्रविष्ट करना आवश्यक है। **ध्यान रहें वे बालक जो आरटीई के तहत किसी विद्यालय में प्रवेश ले चुके हैं, वे पुनः आवेदन नहीं कर सकेंगे।**
- 4.1.4 सूचना प्रविष्टि के बाद अभिभावक को एप्लीकेशन आईडी व पासवर्ड प्राप्त होंगे। इस एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड का उपयोग कर अभिभावक को लॉगिन करना है तथा बालक व स्वयं के सम्बन्ध में विस्तृत सूचनाओं की एन्ट्री एवं संबंधित दस्तावेज अपलोड करने हैं।
- 4.1.5 आवेदन के समय ही समस्त वांछित दस्तावेज अपलोड किये जायेंगे। इस हेतु आवेदन फार्म के साथ फोटो, बालक का आयु प्रमाण-पत्र, अभिभावक का निवास स्थान संबंधी प्रमाण पत्र, अभिभावक का जाति संबंधी प्रमाण-पत्र, बालक का आधार कार्ड अथवा आधार पंजीयन रसीद, बालक/बालक के माता-पिता या संरक्षक के एचआईवी प्रभावित होने की रिपोर्ट, बालक/बालक के माता-पिता या संरक्षक के कैंसर ग्रस्त होने की रिपोर्ट, बालक की माता के युद्ध विधवा होने का प्रमाण-पत्र, अभिभावक की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र, बालक के अनाथ होने संबंधी घोषणा, बालक का निःशक्तजन संबंधित प्रमाण-पत्र के दस्तावेज नियमानुसार अपलोड करें। दस्तावेजों की जानकारी हेतु बिंदु संख्या 06 का अवलोकन करें। साथ ही ध्यान रहे कि अपलोड दस्तावेज स्पष्ट एवं पूर्ण होने चाहिए।
- 4.1.6 अभिभावक एक बार ही ऑनलाइन सूचनाएँ प्रविष्ट कर अपने परिक्षेत्र (Catchment Area) के **अधिकतम 05** इच्छित विद्यालयों का विकल्प क्रमानुसार **(सर्वप्रथम उस विद्यालय का चयन करें जिसमें वह प्रवेश का सर्वाधिक इच्छुक है, इसी प्रकार पांच विद्यालयों का चयन करना है।)** भर सकता है। इन विद्यालयों के गत सत्रों के आरटीई व नॉन आरटीई प्रवेश की स्थिति तथा वर्तमान सत्र में सम्भावित आरटीई सीट्स की संख्या की जानकारी संबंधित विद्यालय पर क्लिक कर प्राप्त की जा सकेगी।
- 4.1.7 आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन क्रमांक के माध्यम से उनके आवेदन फार्म की ट्रेकिंग स्टेटस की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इसमें विद्यालय द्वारा आवेदन क्रमांक पर की गई कार्यवाही, दस्तावेजों की जांच की स्थिति विद्यालय में आरटीई बालक के रूप में प्रवेश की स्थिति व अन्य जानकारी उपलब्ध होंगी। अतः अभिभावक आवेदन करने के बाद समय समय पर आवेदन क्रमांक से लॉगिन कर उनके आवेदित फॉर्म की स्थिति जांच करें। **(नोट:—छात्र अपने आवेदन क्रमांक पर समय-समय पर अपडेट सूचना से**

सही जानकारी लेते रहे। विद्यालय द्वारा इस संबंध में आवेदन कर्ता से संपर्क स्थापित कर उन्हें इस बाबत सूचना देना अनिवार्य नहीं है।)

- 4.1.8 टाईम फ्रेम अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी भरी गई सूचना में अभिभावक रजिस्टर्ड मोबाईल नं० पर ओ.टी.पी. के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं साथ ही इसी अवधि में, अगर गलत दस्तावेज अपलोड कर दिया गया है तो सही दस्तावेज दुबारा से अपलोड कर सकते हैं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि को सभी आवेदनों को पोर्टल द्वारा स्वतः ही फाईनल लॉक कर दिया जायेगा। इसके पश्चात आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- 4.1.9 ऑनलाइन आवेदन के समय बालक/माता-पिता के नाम की वर्तनी, प्रवेश हेतु कक्षा, जन्म तिथि व अन्य सूचनाएँ सावधानीपूर्वक प्रविष्ट करें तथा समस्त दस्तावेज पूर्णतः सही एवं स्पष्ट अपलोड करें। प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की त्रुटि प्रवेश प्रक्रिया में बाधक बन सकती है जिसका दायित्व संबंधित अभिभावक का होगा।
- 4.1.10 ऑनलाइन आवेदन करने के बाद पोर्टल पर भरी गयी सूचनाओं को लॉक कर प्रिंट लिया जा सकता है।
- 4.1.11 बिन्दु संख्या 7 में उल्लेखित केन्द्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों के प्रवेश हेतु वरीयता क्रम का निर्धारण सॉफ्टवेयर द्वारा रेण्डम विधि से किया जाएगा। वरीयता क्रम इस प्रकार होगा:- 01. विद्यालय का वार्ड/ग्राम 02. समस्त शहरी निकाय/ग्राम पंचायत
- 4.1.12 लॉटरी वरीयता में अनाथ बालक/दिव्यांग बालक (जो केन्द्र सरकार के अधिनियम 2016 में वर्णित है) को प्राथमिकता दी जायेगी। परिशिष्ट-3 का अध्ययन करें।
- 4.1.13 लॉटरी प्रक्रिया के पश्चात बालक द्वारा गैर सरकारी विद्यालय में रिपोर्टिंग की जायेगी। इस प्रक्रिया में बालक द्वारा पूर्व में किये गये विद्यालय चयन के क्रम को बदला जा सकेगा। जिन बालकों द्वारा रिपोर्टिंग नहीं की जायेगी। उनके द्वारा पूर्व में भरे गये चयनक्रम को ही अन्तिम मान लिया जायेगा। इस प्रकार कोई भी बालक रिपोर्टिंग से वंचित नहीं रहेगा।
- 4.1.14 विद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की जांच कर उन्हें सत्यापित किया जायेगा दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर विद्यालय द्वारा त्रुटि पूर्ण दस्तावेज पर आक्षेप लगाया जायेगा। यह आक्षेप अभिभावक एवं सीबीईओं लॉगिन पर प्रदर्शित होगा साथ ही अभिभावक के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर **संदेश(SMS)** प्राप्त होगा। अभिभावक द्वारा दस्तावेज को संशोधित कर सात दिवस में अपलोड करना होगा संशोधित दस्तावेज सीबीईओं द्वारा जांच किया जायेगा तथा दस्तावेज को सत्यापित/संशोधित/रिजेक्ट किया जायेगा। जिन अभिभावकों द्वारा सात दिवस में संशोधित दस्तावेज अपलोड नहीं किये जायेंगे। उन आवेदनों की जांच हेतु **Request** सीबीईओं लॉगिन पर प्रदर्शित होगी, सीबीईओं द्वारा उक्त आवेदन में संलग्न दस्तावेजों की जांच कर आवेदन को सत्यापित/रिजेक्ट किया जायेगा। विद्यालय स्तर पर किसी भी आवेदन को रिजेक्ट नहीं किया जा सकेगा। शेष समस्त आवेदन जिन्हें विद्यालय द्वारा जांच नहीं किया गया है। उन सभी बालकों के दस्तावेजों को विद्यालय द्वारा सत्यापन की अन्तिम तिथि के पश्चात ऑटोवेरिफाई किया जायेगा।
- 4.1.15 प्रथम चरण के आवंटन में बालक द्वारा आवेदन/रिपोर्टिंग के समय किये गये विद्यालय चयन क्रम एवं विद्यालय में सशुल्क बालकों की प्रविष्टि के आधार प्रथम चयनित विद्यालय में निःशुल्क सीट्स पर चयन किया जायेगा।
- 4.1.16 द्वितीय चरण के आवंटन में बालक द्वारा आवेदन/रिपोर्टिंग के समय किये गये विद्यालय चयन क्रम एवं विद्यालय में सशुल्क बालकों की प्रविष्टि के आधार प्रथम चयनित विद्यालय में तथा प्रथम चयनित विद्यालय में सीट्स उपलब्ध नहीं होने पर द्वितीय विद्यालय में उपलब्ध सीट्स पर प्रवेश किया जायेगा।
- 4.1.17 अन्तिम चरण के आवंटन में बालक द्वारा आवेदन/रिपोर्टिंग के समय किये गये विद्यालय चयन क्रम एवं विद्यालय में सशुल्क बालकों की प्रविष्टि के आधार पर बालक द्वारा चयनित पॉचों विद्यालयों में से जिस विद्यालय में सीट्स उपलब्ध हो उसी विद्यालय में प्रवेश किया जायेगा।
- 4.1.18 विद्यालय में चयन होने के पश्चात् बालक द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र व अन्य सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी विद्यालय में अविलम्ब जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा। इन्ही आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों को भौतिक सत्यापन के समय जांच दल को प्रस्तुत किया जा सकेगा।

4.2 गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा किये जाने वाले कार्य-

- 4.2.1 गैर सरकारी विद्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 में आरटीई के तहत प्रवेश हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले से निर्धारित टाईम फ्रेम में अपने स्कूल डेटा प्रोफाइल को अपडेट किया जाएगा। जिसमें

उनके विद्यालय का स्तर, विद्यालय की एन्ट्री कक्षा, विद्यालय का नाम, विद्यालय का वार्ड/ग्राम/ग्राम पंचायत/ब्लॉक/जिला एवं अन्य समस्त सूचनाओं, वार्ड परिसीमन, रियायती दर पर भूमि आवंटन सूचना, मान्यता संबंधी सूचना तथा अन्य सूचनाएं अपडेट की जाएगी। इस हेतु विद्यालय लॉगिन में कुछ सूचनाएं अपडेट किये जाने की व्यवस्था होगी तथा शेष सूचनाएं संबंधित जिशिअ कार्यालय के माध्यम से अपडेट करवाई जा सकेगी। **जिन विद्यालयों की सूचना सही भरी हुई है, उन्हें भी स्कूल डेटा प्रोफाइल को फाईनल लॉक करना होगा। आवेदन तिथि से पूर्व पोर्टल द्वारा सभी विद्यालयों का डाटा फाईनल लॉक कर दिया जायेगा। विद्यालय द्वारा निर्धारित समय पर सूचना अपडेट नहीं करने पर संपूर्ण दायित्व विद्यालय का होगा। इस कार्य की सतत मोनेटरिंग सीबीईओ एवं जिशिअ द्वारा की जायेगी।**

- 4.2.2 बिन्दु संख्या 7 में उल्लेखित केन्द्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों के प्रवेश हेतु वरीयता क्रम का निर्धारण सॉफ्टवेयर द्वारा रेण्डम विधि से किया जाएगा। वरीयता क्रम इस प्रकार होगा:— 01. विद्यालय का वार्ड/ग्राम 02. समस्त शहरी निकाय/ग्राम पंचायत
- 4.2.3 **लॉटरी वरीयता में अनाथ बालक/दिव्यांग बालक (जो केन्द्र सरकार के अधिनियम 2016 में वर्णित है) को प्राथमिकता दी जायेगी। परिशिष्ट-3 का अध्ययन करें।**
- 4.2.4 गैर सरकारी विद्यालय में उन सभी बालकों के दस्तावेज प्रदर्शित होंगे जिनके द्वारा रिपोर्टिंग/आवेदन में उस विद्यालय का चयन प्रथम विकल्प के रूप में किया जायेगा। विद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की जांच कर उन्हें सत्यापित किया जायेगा दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर विद्यालय द्वारा त्रुटि पूर्ण दस्तावेज पर आक्षेप लगाया जायेगा। यह आक्षेप अभिभावक एवं सीबीईओ लॉगिन पर प्रदर्शित होगा **साथ ही अभिभावक के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर संदेश(SMS) प्राप्त होगा।** अभिभावक द्वारा दस्तावेज को संशोधित कर सात दिवस में अपलोड करना होगा संशोधित दस्तावेज सीबीईओ द्वारा जांच किया जायेगा तथा दस्तावेज को सत्यापित/रिजेक्ट किया जायेगा। जिन अभिभावकों द्वारा सात दिवस में संशोधित दस्तावेज अपलोड नहीं किये जायेंगे। उन आवेदनों की जांच हेतु **Request** सीबीईओ लॉगिन पर प्रदर्शित होगी, सीबीईओ द्वारा उक्त आवेदन में संलग्न दस्तावेजों की जांच कर आवेदन को सत्यापित/रिजेक्ट किया जायेगा। विद्यालय स्तर पर किसी भी आवेदन को रिजेक्ट नहीं किया जा सकेगा। शेष समस्त आवेदन जिन्हें विद्यालय द्वारा जांच नहीं किया गया है। **उन सभी बालकों के दस्तावेजों को विद्यालय द्वारा सत्यापन की अन्तिम तिथि के पश्चात ऑटोवेरिफाई किया जायेगा।**
- 4.2.5 जिन बालकों का चयन किसी भी विद्यालय में निःशुल्क बालक के रूप में हो जाता है। वह बालक अब किसी भी अन्य विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रदर्शित नहीं होगा।
- 4.2.6 विद्यालय द्वारा सःशुल्क विद्यार्थियों की एन्ट्री राज्य सरकार द्वारा जारी टाईमफ्रेम अनुसार की जा सकेगी। जैसे ही विद्यालय द्वारा सःशुल्क विद्यार्थियों की एन्ट्री की जायेगी, पोर्टल द्वारा स्वतः ही तात्कालिक वरीयता क्रम के आधार पर आरटीई विद्यार्थियों का चयन करते हुए एसआर नंबर आवंटित किया जाएगा तथा साथ ही सशुल्क विद्यार्थियों को भी एसआर नंबर एन्ट्री के साथ ही दे दिया जाएगा। **इस प्रकार शैक्षिक सत्र 2024-25 में सःशुल्क एवं निःशुल्क सीट्स पर होने वाले सभी नव-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ही किये जाएंगे तथा इन विद्यार्थियों को एसआर नंबर आरटीई पोर्टल द्वारा ऑटो-मेटिक जनरेट किये जायेंगे।**
- 4.2.7 टाईम फ्रेम अनुसार पोर्टल द्वारा स्वतः ही गैर सरकारी विद्यालय में पंजीकृत नॉनआरटीई छात्रों की संख्या के आधार पर आरटीई सीट्स पर बालकों का चयन किया जाएगा। अतः विद्यालय में प्रवेशित नॉनआरटीई छात्रों की एन्ट्री तत्काल ही पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें। इस आधार पर प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं पर बाद में विचार नहीं किया जा सकेगा।
- 4.2.8 प्रथम चरण के आवंटन में बालक द्वारा आवेदन/रिपोर्टिंग के समय किये गये विद्यालय चयन क्रम एवं विद्यालय में सशुल्क बालकों की प्रविष्टि के आधार प्रथम चयनित विद्यालय में निःशुल्क सीट्स पर चयन किया जायेगा।
- 4.2.9 द्वितीय चरण के आवंटन में बालक द्वारा आवेदन/रिपोर्टिंग के समय किये गये विद्यालय चयन क्रम एवं विद्यालय में सशुल्क बालकों की प्रविष्टि के आधार प्रथम चयनित विद्यालय में तथा प्रथम चयनित विद्यालय में सीट्स उपलब्ध नहीं होने पर द्वितीय विद्यालय में उपलब्ध सीट्स पर प्रवेश किया जायेगा।
- 4.2.10 अन्तिम चरण के आवंटन में बालक द्वारा आवेदन/रिपोर्टिंग के समय किये गये विद्यालय चयन क्रम एवं विद्यालय में सशुल्क बालकों की प्रविष्टि के आधार पर बालक द्वारा चयनित पाँचों विद्यालयों में से जिस विद्यालय में सीट्स उपलब्ध हो उसी विद्यालय में प्रवेश किया जायेगा।

4.3 सीबीईओ/जिशिअ मु0 कार्यालयों द्वारा किये जाने वाले कार्य—

4.3.1 सीबीईओ/जिशिअ मु0 कार्यालय द्वारा निम्न कार्य किये जाने हैं—

01. सीबीईओ/जिशिअ मु0 कार्यालयों में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं आरटीई प्रभारी/कनिष्ठ सहायक/एमआईएस शामिल होंगे। ये कमेटी आरटीई परिवेदनाओं के निस्तारण संबंधित कार्यों का सम्पादन करेगी।
02. विद्यालय प्रोफाईल को संबंधित **CBE0/DEO HQ** द्वारा अपने लॉगिन में देखा जा सकेगा। कुछ सूचनाएं विद्यालय स्तर पर तथा कुछ सूचनाएं **DEO HQ** कार्यालय स्तर पर अपडेट की जा सकेगी। समस्त **CBE0** द्वारा टाईम फ्रेम में निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व अपने परिक्षेत्र के समस्त गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा प्रोफाईल भरवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। अन्तिम तिथि को समस्त विद्यालयों का विद्यालय प्रोफाईल, पोर्टल द्वारा लॉक कर दिया जाएगा।
03. विद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की जांच कर उन्हें सत्यापित किया जायेगा दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर विद्यालय द्वारा त्रुटि पूर्ण दस्तावेज पर आक्षेप लगाया जायेगा। यह आक्षेप अभिभावक एवं सीबीईओ लॉगिन पर प्रदर्शित होगा **साथ ही अभिभावक के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर संदेश(SMS) प्राप्त होगा।** अभिभावक द्वारा दस्तावेज को संशोधित कर सात दिवस में अपलोड करना होगा संशोधित दस्तावेज सीबीईओ द्वारा जांच किया जायेगा तथा दस्तावेज को सत्यापित/संशोधित/रिजेक्ट किया जायेगा। जिन अभिभावकों द्वारा सात दिवस में संशोधित दस्तावेज अपलोड नहीं किये जायेगे। उन आवेदनों की जांच हेतु **Request** सीबीईओ लॉगिन पर प्रदर्शित होगी, सीबीईओ द्वारा उक्त आवेदन में संलग्न दस्तावेजों की जांच कर आवेदन को सत्यापित/रिजेक्ट किया जायेगा। विद्यालय स्तर पर किसी भी आवेदन को रिजेक्ट नहीं किया जा सकेगा। शेष समस्त आवेदन जिन्हें विद्यालय द्वारा जांच नहीं किया गया है। **उन सभी बालकों के दस्तावेजों को विद्यालय द्वारा सत्यापन की अन्तिम तिथि के पश्चात ऑटोवेरिफाई किया जायेगा।** सीबीईओ द्वारा उक्त कार्य निर्धारित टाईमफ्रेम में अनिवार्य रूप से किये जाये। जिशिअ प्रारम्भिक/माध्यमिक द्वारा इस कार्य की सत्त मोनेटरिंग की जाये।
04. यदि किसी विद्यालय में एन्ट्री कक्षाओं में एक भी नॉनआरटीई प्रवेश नहीं होता है तो उस विद्यालय में उस कक्षा में आरटीई प्रवेश नहीं लिया जा सकेगा। ऐसे विद्यालयों की सूची संबंधित सीबीईओ के लॉगिन में प्रदर्शित होगी। संबंधित सीबीईओ कार्यालय द्वारा उस विद्यालय के संचालन की नियमानुसार जांच करवाई जाएगी। यदि विद्यालय संचालित नहीं पाया जाता है/आरटीई नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार विद्यालय बंद करवाये जाने/विद्यालय की मान्यता समाप्त किये जाने हेतु कार्यवाही कर प्रस्ताव जिशिअ के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित किये जायेगे।
05. **प्रवेश, सत्यापन व पुनर्भरण कार्य की मॉनिटरिंग:—**
गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश, सत्यापन व पुनर्भरण के कार्य की सतत मॉनिटरिंग सीबीईओ तथा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों (प्रारम्भिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, मा.शि) द्वारा की जाएगी। प्रवेश से संबंधित समस्त परिवेदनाओं का निस्तारण उक्त अधिकारी तत्काल करवाया जाना सुनिश्चित करेगे।
05. **विद्यालय में रिपोर्टिंग:—**
 - 5.1 केन्द्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया के पश्चात बालक द्वारा गैर सरकारी विद्यालय में रिपोर्टिंग की जायेगी। प्राप्त वरीयता क्रम के अवलोकन के आधार पर अभिभावकों द्वारा रिपोर्टिंग प्रक्रिया में आवेदन के समय किये गये विद्यालय चयन के क्रम को बदला जा सकेगा यदि बालक आवेदन के समय किये गये चयन क्रम को यथावत रखना चाहता है तो उसके द्वारा रिपोर्टिंग नहीं की जाये तथा जिन बालकों द्वारा रिपोर्टिंग नहीं की जायेगी। उन के द्वारा आवेदन के समय भरे गये विद्यालय चयनक्रम को ही अन्तिम मान लिया जायेगा। इस प्रकार कोई भी बालक रिपोर्टिंग से वंचित नहीं रहेगा।
 - 5.2 आवेदनकर्ता द्वारा रिपोर्टिंग टाईम फ्रेम द्वारा निर्धारित दिनांक तक ही की जा सकेगी। छात्र द्वारा ऑनलाईन रिपोर्टिंग करने के आधार पर संबंधित विद्यालय द्वारा जब सःशुल्क विद्यार्थियों की एन्ट्री की जाएगी, तो नियमानुसार वरीयता क्रम में आने वाले छात्र का चयन निःशुल्क प्रवेशित बालक के रूप में संबंधित विद्यालय में पोर्टल द्वारा किया जाएगा।

- 5.3 इस प्रकार जिन बालकों का चयन किसी भी विद्यालय में निःशुल्क बालक के रूप में हो जाता है। वह बालक अब किसी भी अन्य विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रदर्शित नहीं होगा। ये प्रक्रिया सतत् रूप से टाईमफ्रेम अनुरूप निर्धारित समय तक चलती रहेगी।
- 5.4 निःशुल्क प्रवेश पैरा-8 में वर्णित रोस्टर प्रक्रिया से होगा।

06. आवेदन पत्रों की जाँच:—गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा निर्धारित टाईम फ्रेम के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच की जायेगी। दस्तावेजों की वैधता के संबंध में स्थिति उपरोक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है। विद्यालय आवेदन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों की चैक लिस्ट निम्नप्रकार है—

6.1 “दुर्बलवर्ग” के बालकों के प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज:—

- 6.1.1 अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक होने का प्रमाण पत्र। (राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही होना चाहिए)
- 6.1.2 बालक/अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र।(बिन्दु संख्या 2.4 में उल्लेखित कोई भी दस्तावेज)
- 6.1.3 बालक की आयु सम्बन्धी दस्तावेज।

6.2 “असुविधाग्रस्त समूह” के बालकों के प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज:—

- 6.2.1 बालक/अभिभावक का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र अथवा बालक/अभिभावक का अनुसूचित जन जाति प्रमाण पत्र अथवा अनाथ आश्रम द्वारा बालक के अनाथ होने की घोषणा अथवा एचआईवी/कैंसर से प्रभावित होने की रजिस्टर्ड डाइग्नोस्टिक केन्द्र की रिपोर्ट अथवा युद्ध विधवा के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र अथवा विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र अथवा पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक होने का प्रमाण पत्र (पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के जाति का प्रमाण पत्र सहित) अथवा बी.पी.एल.कार्ड (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची के आधार पर)
- 6.2.2 बालक/अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
- 6.2.3 बालक का आयु सम्बन्धी दस्तावेज।

- 6.3 आवेदन पत्रों के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज लॉटरी दिनांक से पूर्व की तिथियों में जारी होना आवश्यक है। लॉटरी दिनांक या उसके बाद की तिथियों में जारी दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। गत सत्रों के वार्षिक आय के आधार पर प्रवेशित विद्यार्थियों के वर्तमान सत्र के लिए प्रस्तुत किये गये आय प्रमाण-पत्र वर्तमान सत्र में प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक के मान्य होंगे।
- 6.4 अभिभावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय भरी गई जानकारीयों से सम्बन्धित दस्तावेज ही संलग्न करने हैं। ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज में उपलब्ध जानकारीयों के भिन्न पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त किया जा सकेगा। निःशुल्क प्रवेश हेतु अभिभावक द्वारा अपलोड किये गये किसी भी दस्तावेज के अपूर्ण/असत्य पाये जाने पर विद्यालय द्वारा सम्बन्धित बालक के दस्तावेजों पर आक्षेप लगाया जा सकेगा तथा सीबीईओ द्वारा उक्त बालक का प्रवेश उक्त निर्धारित ऑनलाईन प्रक्रिया के अनुसार निरस्त कर सकेगा। जिन अभिभावकों ने अपने निवास एवं विद्यालय का वार्ड/ग्राम समान होने का विकल्प चुना है, उनके निवास प्रमाण-पत्र की गहनता से जाँच कर इस तथ्य की पुष्टि कर लें, तथा यदि यह तथ्य गलत पाया जाता है तो गलत सूचना दिए जाने के कारण आवेदन निरस्त होगा।

07. केन्द्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया :-

- 7.1 ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों का प्रवेश हेतु वरीयताक्रम निर्धारण सॉफ्टवेयर द्वारा रेण्डम विधि से निर्धारित तिथि को राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा किया जायेगा। लॉटरी वरीयता में अनाथ बालक/दिव्यांग बालक(जो केन्द्र सरकार के अधिनियम 2016 में वर्णित है) को प्राथमिकता दी जायेगी। लॉटरी प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए परिशिष्ट-3 का अवलोकन करें।
- 7.2 यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त वरीयता सूची में विद्यालय में निःशुल्क सीट्स पर ऑन लाईन आवेदन करने वाले सभी बालकों के नाम सम्मिलित किये गये हैं। अतः यह प्रवेश हेतु केवल वरीयता सूची है, इसे प्रवेश के लिए चयन सूची नहीं माना जावे।

- 7.3 इस सूची का उपयोग पोर्टल द्वारा शेष 75 प्रतिशत सीट्स पर प्रवेशित सःशुल्क बालकों के साथ सम्मिलित कर निम्नानुसार निर्धारित रोस्टर प्रक्रिया में किया जाएगा। विद्यालय इस सूची को अपनी वेबसाईट/नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा एवं सभी अभिभावकों को इसकी सूचना प्रेषित की जाएगी।
- 7.4 इस प्रकार 75 प्रतिशत प्रवेशित बालकों की विद्यालय द्वारा प्रवेश दिनांक को वेब पोर्टल पर एन्ट्री की जाएगी जिसके आधार पर पोर्टल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए आरटीई सीट्स पर विद्यार्थी का चयन किया जा सकेगा।

08. प्रवेश के लिए रोस्टर प्रक्रिया :-

निःशुल्क प्रवेशित बालकों की केन्द्रीकृत लॉटरी द्वारा जारी वरीयता सूची एवं शेष 75 प्रतिशत सीट्सपर प्रविष्ट बालकों की सूची को निम्नांकित रोस्टर के आधार पर तैयार किया जायेगा :-

1.सामान्य प्रवेश	11.सामान्य प्रवेश	21.निःशुल्क प्रवेश	31.सामान्य प्रवेश
2. निःशुल्क प्रवेश	12.सामान्य प्रवेश	22.सामान्य प्रवेश	32.सामान्य प्रवेश
3.सामान्य प्रवेश	13.निःशुल्क प्रवेश	23.सामान्य प्रवेश	33.निःशुल्क प्रवेश
4.सामान्य प्रवेश	14.सामान्य प्रवेश	24.सामान्य प्रवेश	34.सामान्य प्रवेश
5. निःशुल्क प्रवेश	15.सामान्य प्रवेश	25. निःशुल्क प्रवेश	35.सामान्य प्रवेश
6.सामान्य प्रवेश	16.सामान्य प्रवेश	26.सामान्य प्रवेश	36.सामान्य प्रवेश
7.सामान्य प्रवेश	17.निःशुल्क प्रवेश	27.सामान्य प्रवेश	37.निःशुल्क प्रवेश
8.सामान्य प्रवेश	18.सामान्य प्रवेश	28.सामान्य प्रवेश	38.सामान्य प्रवेश
9.निःशुल्क प्रवेश	19.सामान्य प्रवेश	29.निःशुल्क प्रवेश	39.सामान्य प्रवेश
10.सामान्य प्रवेश	20.सामान्य प्रवेश	30.सामान्य प्रवेश	40.सामान्य प्रवेश
41 निःशुल्क प्रवेश			

कुल निःशुल्क प्रवेश-11 सामान्य प्रवेश - 30

- उपरोक्त रोस्टर एन्ट्री कक्षा के लिए 41 बालकों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। संख्या अधिक होने पर यहीं प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेगी।
- कम प्रवेश होने की स्थिति में जिस रोस्टर बिन्दु तक प्रवेश होंगे वहां तक निःशुल्क प्रवेशित एवं सामान्य प्रवेशित बालकों की संख्या का निर्धारण होगा। उदाहरणस्वरूप यदि किसी विद्यालय में 18 प्रवेश हो तो उनमें से 5 निःशुल्क प्रवेशित तथा 13 सामान्य प्रवेशित बालक होंगे।

09. यदि किसी विद्यालय में किसी एन्ट्री कक्षा में एक भी नॉनआरटीई प्रवेश नहीं होता है तो उस विद्यालय में आरटीई प्रवेश नहीं लिया जा सकेगा।
10. गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा पूर्व प्राथमिक कक्षा पीपी3+ में लिये गये निःशुल्क प्रवेशित बालकों के कक्षा-1 में क्रमोन्नत होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा इनका पुनर्भरण प्रारम्भ किया जायेगा। पूर्व प्राथमिक कक्षा पीपी3+ में गैर सरकारी विद्यालय द्वारा उक्त निःशुल्क प्रवेशित बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना बाध्यकारी है।

अध्याय-3 :गैर-सरकारी विद्यालयों में भौतिक सत्यापन प्रक्रिया

10. भौतिक सत्यापन हेतु कार्यालयों द्वारा किये जाने वाले कार्य

10.1 सत्यापन दलों का गठन:-

- 10.1.1 जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा अपने-अपने परिक्षेत्र के गैर-सरकारी विद्यालयों की संख्या के आधार पर सत्यापन दलों का गठन करेंगे।
- 10.1.2 दलों का गठन केवल उन्ही विद्यालयों के लिए किया जायेगा, जिनमे आरटीई की धारा 12(1)(ग) के तहत निःशुल्क सीट्स पर विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यह सूची डीईओ प्रा.शि./डीईओ मा.शि. के लॉगिन में उपलब्ध है।
- 10.1.3 सत्यापन दलों का गठन ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा। प्रत्येक दल में शामिल दोनों सदस्यों का चुनाव एक ही विद्यालय से किया जाएगा। एक सत्यापन दल को अधिकतम 3 विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। पूर्व में गठित दल यदि किसी कारण से भौतिक सत्यापन करने में असमर्थ है तो परिवेदना के आधार पर दल को निरस्त करने/दल के किसी सदस्य को बदलने एवं नवीन दल के ऑनलाइन गठन का अधिकार सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी का रहेगा।
- 10.1.4 सत्यापन दल का अध्यक्ष राजपत्रित अधिकारी होगा तथा एक अन्य सदस्य उपलब्धता के आधार पर व्याख्याता/व.अ./अध्यापक/लिपिक वर्ग होगा।
- 10.1.5 प्रारम्भिक शिक्षा में पर्याप्त संख्या में राजपत्रित अधिकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में दलों के अध्यक्ष के रूप में माध्यमिक शिक्षा से प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/व्याख्याता लिए जा सकेंगे तथा शेष एक सदस्य प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय/अध्यापक में से लिया जा सकेगा।
- 10.1.6 दल गठन के समय यथा सम्भव दल सदस्यों के पदस्थापन के ब्लॉक में ही गैर-सरकारी विद्यालय सत्यापन हेतु दिये जायें।

10.2 विशेष सत्यापन दलों का गठन:-

- 10.2.1 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) अपने अधीन विद्यालयों के सम्पल सत्यापन के लिए आवश्यकतानुसार अपने कार्यालय से विशेष सत्यापन दलों का गठन करेंगे।
- 10.2.2 यह विशेष सत्यापन दल जिले में विद्यालयों की संख्या का एक प्रतिशत अथवा 20 विद्यालय, जो भी अधिक हों, का अनिवार्य रूप से सत्यापन करेंगे।
- 10.2.3 ये विशेष दल उन विद्यालयों का पुनः सत्यापन करेंगे जो सत्यापन दलों द्वारा सत्यापित किए जा चुके हैं। निरीक्षण से पूर्व उन विद्यालयों की मूल सत्यापित रिपोर्ट को साथ लेकर जाएंगे तथा मूल सत्यापन से भिन्नता पाये जाने पर विशेष सत्यापन दल के अध्यक्ष द्वारा मूल सत्यापन रिपोर्ट में लाल स्याही के पैन से आवश्यक संशोधन किये जाएंगे। उक्त संशोधन विद्यालय प्रति एवं कार्यालय प्रति दोनों में किये जाएंगे।
- 10.2.4 विद्यालय द्वारा विशेष सत्यापन दल द्वारा संशोधित सत्यापन रिपोर्ट को ही आरटीई वेबपोर्टल पर अपलोड किया जाएगा तथा सम्बन्धित कार्यालय द्वारा उसी के अनुरूप इसका मिलान कर सत्यापन किया जाएगा।
- 10.2.5 विशेष सत्यापन दलों द्वारा उन विद्यालयों की भी पुनः जाँच की जायेगी जिन विद्यालयों के भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में परिवेदनायें प्राप्त हुई हैं।
- 10.2.6 विशेष जाँच दल द्वारा निरीक्षण किये गये विद्यालयों की सूचना की प्रविष्टि जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन से करनी है। राज्य स्तर से भी भौतिक सत्यापन की रेन्डम जांच की जा सकेगी।

10.3 सत्यापन दलों का प्रशिक्षण :-

- 10.3.1 जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा अपने-अपने परिक्षेत्र के विद्यालयों के लिए गठित सत्यापन दलों का प्रशिक्षण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। बिना प्रशिक्षण के किसी भी सत्यापन दल को सत्यापन हेतु विद्यालय में नहीं भेजा जायेगा।
- 10.3.2 प्रशिक्षण के दौरान सत्यापन दलों को "दुर्बल वर्ग" व "असुविधाग्रस्त समूह" की परिभाषा, प्रवेश हेतु कैचमेंट एरिया, आयु पॉलिसी व एन्ट्री कक्षा एवं आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की जाँच के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
- 10.3.3 निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश की ऑनलाइन व विगत सत्रों की ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी सत्यापन दलों को दी जायेगी।

- 10.3.4 यह जानकारी दिशा-निर्देशों के आधार पर दी जायेगी। यह दिशा निर्देश प्राइवेट स्कूल वेब-पोर्टल <http://www.rajpsp.nic.in> पर उपलब्ध हैं।
- 10.3.5 सत्यापन दलों को सम्बन्धित विद्यालयों के नाम की सूची मय पता मोबाइल नम्बर, लैण्डलाइन नम्बर उपलब्ध करवायी जाएगी तथा सत्यापन दलों को भौतिक सत्यापन के दिशा-निर्देशों की एक-एक प्रति भी दी जाएगी।
- 10.3.6 जिले के आरटीई प्रभारी अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी के फोन नम्बर भी सत्यापन दलों को उपलब्ध करवायें जायें जिससे सत्यापन दल आवश्यकता पड़ने पर जानकारी प्राप्त कर सकें।
- 10.4 **भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों को कार्यालय स्तर से सत्यापित करना :-**
- 10.4.1 भौतिक सत्यापन के दौरान सत्त मॉनिटरिंग कर विद्यालयों से सत्यापन प्रतिवेदनों की प्रविष्टि करवायी जाए।
- 10.4.2 जिन विद्यालयों के सत्यापन प्रतिवेदन ऑनलाइन प्रविष्टि कर लॉक कर दिए जाएं उन प्रतिवेदनों की कार्यालय प्रति से मिलान करते हुए उन्हें तत्काल सत्यापित या असत्यापित कर दिया जाए।
- 10.4.3 सत्यापन करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत समस्त बालकों के आधार नम्बर अथवा आधार नामांकन ऑनलाइन प्रविष्टि कर दिए गए हैं।
- 10.4.4 कार्यालय स्तर से निर्धारित तिथि तक सत्यापन प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं होने तथा विद्यालय के फीस पुनर्भरण से वंचित होने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- 10.5 **भौतिक सत्यापन का टाइम फ्रेम :-**

क्र.सं.	गतिविधि/कार्यक्रम	सम्भावित तिथियाँ
1	भौतिक सत्यापन दलों का गठन व प्रशिक्षण	05 सितम्बर, 2024 तक
2	विद्यालयों में भौतिक सत्यापन कार्य	15 सितम्बर, 2024 से 15 अक्टूबर, 2024 तक
3	विद्यालयों द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को आरटीई पोर्टल पर अपलोड कर लॉक करना	15 सितम्बर, 2024 से 30 अक्टूबर, 2024 तक
4	भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का कार्यालय स्तर से मिलान कर सत्यापित करना	15 सितम्बर, 2024 से 07 नवम्बर 2024 तक

नोट:- कार्यालय द्वारा सत्यापन रिपोर्ट के मिलान के दौरान रिजेक्ट की गयी रिपोर्ट को विद्यालय द्वारा सही प्रविष्टि कर अधिकतम 7 दिवस में पुनः लॉक करना है। यदि विद्यालय तय अवधि में रिपोर्ट को लॉक नहीं करता है तो विभाग द्वारा इन बालकों की फीस का पुनर्भरण नहीं किया जायेगा तथा विद्यालय निःशुल्क सीट्स पर प्रवेशित बालकों को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा।

- आरटीई के भौतिक सत्यापन दल में बदलाव हेतु पूरे दल में ही बदलाव नहीं करते हुए केवल संबंधित अधिकारी/कार्मिक को ही बदलने की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जाएगी तथा आरटीई के अन्तर्गत यह कार्य जिशिअ कार्यालय के स्तर पर ही सम्पादित की जाए। इस प्रकार किये गये बदलाव की सूचना निदेशालय को ई-मेल से भिजवाई जाएगी।
- राज्य के समस्त गैर-सरकारी विद्यालयों द्वारा नॉन आरटीई (कक्षा 1 से 12 तक) के समस्त विद्यार्थियों की पीएसपी पोर्टल पर एन्ट्री व ऑनलाइन टीसी जारी किया जाना अनिवार्य होगा। इसका निरीक्षण भौतिक सत्यापन के साथ ही किया जा सकेगा तथा सीबीईओ/जिशिअ स्तर के अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र में इसकी सतत् मॉनिटरिंग की जाएगी।

भौतिक सत्यापन हेतु दलों द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

11 सत्यापन हेतु सामान्य निर्देश :-

- 11.1 विद्यालय प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर अपने लॉगिन से भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन की दो प्रतियों का प्रिंट आउट लेकर तैयार रखें। प्रिंट आउट लेने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि विद्यालय में अध्ययनरत सभी कक्षाओं के सशुल्क बालक-बालिकाओं की पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि की जा चुकी है तथा निःशुल्क छात्र भी प्रदर्शित हो रहे हैं।
- 11.2 भौतिक सत्यापन दल के अवलोकन हेतु बालकों के आवेदन पत्र मय संलग्नक व रिपोर्टिंग प्रपत्र, कैश बुक, रसीद बुक, बैंक पास बुक, एस.आर. रजिस्टर, कक्षा उपस्थिति रजिस्टर व पूर्व के सत्रों में आय के आधार पर प्रवेशित बालकों (केवल सामान्य, ओबीसी व एसबीसी वर्ग के लिए) के आय प्रमाण-पत्र तैयार रखें। **आरटीई अधिनियम की धारा 12(3)के तहत उक्त समस्त सूचनायें विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जाना बाध्यकारी है।**
- 11.3 भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में प्रविष्ट विद्यालय की स्थिति (Location), कक्षा स्तर (किस कक्षा तक), मान्यता, एण्ट्री कक्षा व आयु पॉलिसी की ध्यानपूर्वक जाँच करने के बाद ही इनको सत्यापित करें।
- 11.4 विद्यालय की स्थिति के संबंध में ब्लॉक, शहरी स्थानीय निकाय (नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम), ग्राम पंचायत, ग्राम, वार्ड तथा शहरी या ग्रामीण क्षेत्र की गहन जाँच के बाद ही इन्हें सत्यापित करें। यदि विद्यालय के ग्राम/वार्ड अथवा ग्राम पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय में परिवर्तन है तो यह परिवर्तन विद्यालय लॉगिन से ही सत्यापन रिपोर्ट ऑनलाइन करते समय किया जा सकता है लेकिन यदि विद्यालय के ब्लॉक के नाम में परिवर्तन है तो रिपोर्ट ऑनलाइन प्रविष्टि होने के बाद डीईओ प्रा.शि./डीईओ मा.शि. के लॉगिन से रिपोर्ट सत्यापित करने से पूर्व यह परिवर्तन किया जाये तथा सत्यापन रिपोर्ट की एक प्रति सम्बन्धित डीईओ कार्यालय को भिजवाई जाये।
- 11.5 प्रतिवेदन में भरी सूचनाओं में यदि कोई सूचना गलत है तो उस पर गोला करना है तथा उसके पास ही सही सूचना को अंकित करना है। सूचनाओं में परिवर्तन निरीक्षण प्रतिवेदन की दोनों प्रतियों में करने हैं।
- 11.6 इस प्रपत्र में पूर्व में भरे हुए डाटा में बदलाव से विद्यालय सहमत है। इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में इस सत्र में प्रवेशित बालकों का पोर्टल पर यथानुसार परिवर्तन हो जायेगा, जिसके लिए विद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा एवं उसे ज्ञात है कि इसमें दुबारा से बदलाव सम्भव नहीं है।
- 11.7 भौतिक सत्यापन दल द्वारा विद्यालय से किसी भी दस्तावेज की छाया प्रति देने की मांग नहीं की जायेगी ओर न ही निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जायेगी। **भौतिक सत्यापन दल द्वारा जो भी रिकार्ड अवलोकित किया जाए प्रमाण के रूप में दल के अध्यक्ष द्वारा अवलोकित दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर एवं दिनांक अंकित की जाए।**
- 11.8 सत्यापन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर सत्यापन दल के अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति निरीक्षण के दिन ही सम्बन्धित संस्थाप्रधान/प्रभारी को प्राप्ति के हस्ताक्षर प्राप्त कर उपलब्ध करवायी जायेगी तथा दूसरी प्रति सम्बन्धित डीईओ (प्रारम्भिक शिक्षा)/डीईओ (माध्यमिक शिक्षा) कार्यालय में जमा करवायी जायेगी।
- 11.9 सत्यापन दल द्वारा उपलब्ध करवाये गये निरीक्षण प्रतिवेदन को गैर-सरकारी विद्यालय द्वारा तत्काल आरटीई वेबपोर्टल पर अपलोड करना है।

12 आधार सत्यापन सम्बन्धी निर्देश :-

- 12.1 स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आरटीई की धारा 12(1)(ग) के तहत विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त बालक-बालिकाओं (वर्तमान सत्र में नव प्रवेशित तथा पूर्व सत्रों के क्रमोन्नत) के आधार लिया जाना अनिवार्य है।
- 12.2 जिन बालक-बालिकाओं के आधार ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन(प्रमाणीकरण) नहीं हुआ है, उन बालक-बालिकाओं को सत्यापित करने से पूर्व आधार की हार्ड कॉपी से मिलान कर जाँच अनिवार्य रूप से की जाये।
- 12.3 यदि किसी विद्यालय में अध्ययनरत सभी बालक-बालिकाओं में से कुछ के आधार प्राप्त नहीं हुए हैं तो विद्यालय अपनी सत्यापन रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रविष्टि करने से पूर्व आधार ऑथेंटिकेशन(प्रमाणीकरण) के बाद ही प्रतिवेदन को लॉक करें।

- 12.4 सत्यापन रिपोर्ट में आधार के सम्बन्ध में सभी बालक-बालिकाओं की स्थिति स्पष्ट होने के पश्चात् ही विद्यालय द्वारा रिपोर्ट को ऑनलाइन कर लॉक किया जायेगा लेकिन यह कार्य सत्यापन रिपोर्ट की प्रविष्टि हेतु निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व किया जाना अनिवार्य है।
- 12.5 सम्बन्धित कार्यालय प्रत्येक विद्यालय की सत्यापन रिपोर्ट को कार्यालय प्रति के आधार पर प्रमाणित (Verify) करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि रिपोर्ट में पात्र पाये गये बालक-बालिकाओं का आधार ऑथेंटिकेशन(प्रमाणीकरण) किया जा चुका है।
- 12.6 बालक-बालिकाओं के विवरण की आंशिक अशुद्धियों को आधार कार्ड के आधार पर सही कर ऑथेंटिकेशन(प्रमाणीकरण) किया जा सकता है। यदि इन अशुद्धियों को सही करने से बालक/बालिका की पात्रता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

13 निःशुल्क एवं सःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालक-बालिकाओं की जाँच सम्बन्धी निर्देश :-

- 13.1 निःशुल्क प्रवेश संबंधी समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन कर निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालक की पात्रता की जाँच की जाए तथा पात्रता के आधार पर पुनर्भरण योग्य पाये गये बालकों को सत्यापित किया जाए। जो बालक प्रवेश हेतु अपात्र पाए जावें अर्थात् पुनर्भरण योग्य नहीं पाये जावें उनके अयोग्य होने के कारणों के कोड अंकित करने हैं।
- 13.2 सत्यापन दल 25 प्रतिशत निःशुल्क एवं शेष 75 प्रतिशत सःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालकों की नियमित उपस्थिति की भी जांच करेंगे। यदि निःशुल्क प्रवेशित बालक ड्राप-आउट पाया जाए तो उसका उल्लेख प्रतिवेदन में करेंगे। सःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालकों के आवेदन पत्रों व अन्य दस्तावेजों की गहन जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि ये बालक वास्तविक रूप से विद्यालय में अध्ययनरत हैं।
- 13.3 शैक्षिक सत्र 2024-25 में एन्ट्री कक्षा में निःशुल्क व सःशुल्क सीट्स पर नवप्रवेशित बालक-बालिकाओं की गहनता से जांच करें। यदि सत्यापन के समय निःशुल्क 25 प्रतिशत सीट्स पर दिये गये प्रवेश की तुलना में सःशुल्क 75 प्रतिशत सीट्स पर कम संख्या में बालक-बालिकाएँ अध्ययनरत पाये जाते हैं अथवा 10 प्रतिशत से अधिक बालक विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं। जिसके कारण आरटीई प्रवेशित बालक 25 प्रतिशत से अधिक हो जाते हैं। तो सःशुल्क 75 प्रतिशत सीट्स पर अध्ययनरत बालक-बालिकाओं की संख्या के आधार पर ही 25 प्रतिशत निःशुल्क सीट्स पर बालक-बालिकाओं को सत्यापित किया जाये। निःशुल्क सीट्स पर 25 प्रतिशत से अधिक संख्या में प्रवेशित बालक-बालिकाओं में से वरीयता सूची में नीचे से बालक-बालिकाओं के प्रवेश को निरस्त किया जायेगा। यह व्यवस्था केवल वर्तमान सत्र में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए ही लागू होगी। साथ ही जांच दल द्वारा विद्यालय की गहनता से जांच कर इस तथ्य की पुष्टि कर ली जाये कि विद्यालय द्वारा फर्जी सशुल्क नामांकन कर आरटीई पुनर्भरण गलत तरीके से प्राप्त करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। प्रमाणित पाये जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे विद्यालय की सूचना प्रारम्भिक/माध्यमिक निदेशालय को प्रेषित करेंगे।
- 13.4 यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रवेशित बालक-बालिका प्रवेश के बाद लगातार विद्यालय में आ रहे हैं तथा इनका अन्यत्र किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं हुआ है।

14 विद्यालय की फीस की जाँच सम्बन्धी निर्देश :-

- 14.1 सत्यापन दल विद्यालय के अभिलेखों की सावधानी पूर्वक जाँच कर विद्यालय द्वारा अन्य बालकों से ली जा रही फीस का सत्यापन करेंगे। वर्तमान सत्र में विद्यालय द्वारा ली जाने वाली वास्तविक फीस का ही अंकन करें।
- 14.2 फीस के सत्यापन के लिए विद्यालय के अभिलेखों यथा रसीद बुक, कैशबुक, बैंक पासबुक, फीस संधारण रजिस्टर एवं वाउचर पंजिका का निरीक्षण करेंगे। यदि आवश्यक हो तो बालकों एवं अभिभावकों से बात कर फीस की पुष्टि कर ली जावे।
- 14.3 फीस के समस्त रिक्त कॉलमों में फीस की प्रविष्टि करनी है। विद्यालय को यह ज्ञात होना चाहिए कि वर्तमान शैक्षिक सत्र की वार्षिक फीस की राशि अंकित नहीं करने पर इस सत्र की प्रथम एवं द्वितीय किस्त की पुनर्भरण राशि का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा परन्तु निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित एवं सत्यापित बालकों को अपने स्तर पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु बाध्य होगा।
- 14.4 सत्यापन दल द्वारा निर्देशों के विपरीत गलत तरीके से अथवा अभिलेखों का अवलोकन किये बिना ही फीस का आकलन कर राशि अंकित करने एवं पुनर्भरण की अनुशंसा करने पर गलत/अनियमित भुगतान होने की स्थिति में सत्यापन दल का उत्तरदायित्व निर्धारित होगा तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

15. सत्यापन दल द्वारा नवप्रवेशित बालकों के आवेदन पत्रों की जाँच :-

- 15.1 यह जाँच बालक के "दुर्बल वर्ग" या "असुविधाग्रस्त समूह" से सम्बन्धित होने, प्रवेश हेतु निर्धारित कैचमेन्ट एरिया के निवासी होने तथा प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधी पात्रता पूरी करने के आधार पर की जायेगी तथा इनसे सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की भी जांच की जाएगी कि प्रमाण पत्र निर्धारित तिथि तक तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं अथवा नहीं।
- 15.2 दल द्वारा जिन अभिलेखों का अवलोकन किया जाए उन पर लघु हस्ताक्षर भी किए जाएं।
- 15.3 सत्यापन प्रतिवेदन दो प्रतियों में तैयार कर सत्यापन दिवस को ही एक प्रति विद्यालय को तथा दूसरी प्रति सम्बन्धित कार्यालय को उपलब्ध करवा दी जाए। सत्यापन रिपोर्ट के प्रत्येक पृष्ठ पर सत्यापन दल सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य है।

नोट:-स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प.21(32) प्राशि/आयो./2017 पार्ट V जयपुर दिनांक 18.07.2019 के बिन्दु संख्या 3.3 में आरटीई की धारा 12(1)(ग) के तहत गैर-सरकारी विद्यालयों में 25 प्रतिशत निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालकों के भौतिक सत्यापन व सत्यापित बालकों की फीस के पुनर्भरण कार्य को जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक कार्यालय को आवंटित किया गया है। अतः इन दिशा-निर्देशों का अध्याय-3 व 4 इस आदेश के अधीन रहेगा तथा आवश्यकता होने पर इस अध्यायों में संशोधन किया जाएगा।

अध्याय-4 : गैर-सरकारी विद्यालयों को फीस के पुनर्भरण की प्रक्रिया

16. पुनर्भरण प्रक्रिया:-

- 16.1 भौतिक सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सत्यापन रिपोर्ट की विद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रविष्टि तथा कार्यालय द्वारा ऑनलाइन वेरिफाई किए जाने के बाद विद्यालय द्वारा वेब पोर्टल के माध्यम से पुनर्भरण हेतु दावा प्रपत्र (Claim Bill) जनरेट किया जाएगा।
- 16.2 दावा प्रपत्र पर विद्यालय के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर मयसील करवाकर इसकी दो हार्ड कापी सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रार. शिक्षा)/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य. शिक्षा) कार्यालय में रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से प्रेषित करनी होगी। प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल पर रजिस्टर्ड डाक प्रेषण की दिनांक व क्रमांक ऑनलाइन फीड किये जाएंगे।
- 16.3 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रार. शिक्षा)/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य. शिक्षा) कार्यालय इस प्रकार रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त क्लेम बिल का एक अलग रजिस्टर में रिकॉर्ड संधारित करेंगे।
- 16.4 विद्यालय क्लेम बिल जनरेट करते समय इस बात का ध्यान रखेगा कि उसे निःशुल्क भूमि/भवन/उपस्कर आदि में से कुछ आवंटन निःशुल्क/रियायती दरों पर प्राप्त हैं तो ऐसे निःशुल्क /रियायती दरों पर आवंटन के आदेश में विद्यालय जितने बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की शर्त के अध्याधीन है, उसे उतने बालकों के संबंध में प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी। अतः मांग की राशि में से उक्त बालकों की संख्या के आधार पर बनने वाली प्रतिपूर्ति की राशि को घटाकर शुद्ध मांग की जायेगी।
- 16.5 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रार. शिक्षा)/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य. शिक्षा) कार्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त दावा प्रपत्रों (Claim bill) के आधार पर भुगतान स्वीकृति आदेश (Pass order) बना कर ट्रेजरी के माध्यम से विद्यालयों के खातों में ऑनलाइन पुनर्भरण किया जाएगा।
- 16.6 प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के पुनर्भरण के लिए कार्यालयों को बजट का आवंटन निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के पुनर्भरण के लिए बजट का आवंटन निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा किया जाएगा।
- 16.7 **उपयोगिता प्रमाण पत्र** :- प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के पुनर्भरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के पुनर्भरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित किया जाएगा।

नोट:- गैर सरकारी विद्यालय द्वारा माध्यम परिवर्तन किये जाने की स्थिति में आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालक पुनर्भरण योग्य माने जायेंगे।

17. विद्यालयों को फीस के पुनर्भरण हेतु सम्भावित टाइम फ्रेम

विद्यालयों द्वारा दावा प्रपत्र बनाया जाना	15 नवम्बर 2024 से 15 फरवरी 2025
जिशिअ द्वारा पासऑर्डर बनाया जाना	20 नवम्बर 2024 से 25 मार्च 2025

परिशिष्ट – 1(संदर्भित अध्याय-1)
आदेश/परिपत्रों का सारांश

- **विशेष आवश्यकता वाले बालकों का प्रवेश:**— विकलांगता से ग्रसित बालक-बालिकाओं को अधिनियम के प्रावधानानुसार अनिवार्यतः विद्यालय में प्रवेश दिया जाकर उनके लिए समुचित शैक्षणिक, वातावरण की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने संबंधी आदेश दि. 12.9.2011 को जारी किये गये।
- **विद्यालयों द्वारा बालकों से लिये जा रहे शुल्क के स्थान पर अनुदान/दान/चंदा/सहयोग के नाम से रसीदे काटना** :—25 प्रतिशत सीट्स पर प्रवेशित बालकों की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित यूनिट कॉस्ट अथवा विद्यालय द्वारा बालकों से ली जाने वाली फीस, जो भी कम हो का किया जाता है। अतः यदि विद्यालयों द्वारा अभिभावकों/बालकों से अनुदान/दान/चंदा/सहयोग आदि लिये जा रहे हैं तो यह राशि पुनर्भरण के योग्य नहीं मानी जायेगी।
- **अभिभावकों द्वारा निःशुल्क प्रवेशित बालकों के विद्यालय परिवर्तन के सम्बन्ध में** :—यदि कोई अभिभावक स्वेच्छा से अपने बालक को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानान्तरित करना चाहता है तो विद्यालय परिवर्तन होते ही वह बालक फीस के पुनर्भरण का पात्र नहीं माना जावेगा। (दि. 30.4.2013 को जारी दिशा निर्देश)
- **अभिभावकों से प्रतिवर्ष आय प्रमाण पत्र लिया जाना** :— निःशुल्क प्रवेश के लिए असुविधाग्रस्त समूह एवं कमजोर वर्ग में सम्मिलित किये गये बालकों की एक श्रेणी अभिभावकों की वार्षिक आय (वर्तमान में रुपये 2.50 लाख या कम) के आधार पर निर्धारित की हुई है। आय के आधार पर प्रवेशित बालकों के अभिभावकों से प्रतिवर्ष आय का प्रमाण पत्र लेना होगा तथा उस आय के आधार पर ही फीस के पुनर्भरण की पात्रता पर विचार किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र बालक के प्रवेश दिये जाने वाले दिनांक के पूर्व के वित्तीय वर्ष (1अप्रैल से 31 मार्च) की आय के संबंध में होगा शैक्षिक सत्र 2023-24 में आय के आधार पर निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश केवल उन्ही बालक/बालिकाओं का होगा जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये है। अतः इन बालक/बालिकाओं के लिए प्रतिवर्ष 2.50 लाख रुपये तक का वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र लिया जायेगा।
- **निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेशित बालकों की पाठ्यपुस्तकों के संबंध में**— राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक निर्धारित व्यय (यूनिट कॉस्ट) में पाठ्यपुस्तकों की कीमत सम्मिलित की गई है। अतः सम्बन्धित पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्सपर प्रवेश लेने वाले बालकों को पाठ्यपुस्तकें विद्यालय द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। (दिनांक 30.04.2013 को जारी दिशा निर्देश)

परिशिष्ट -2(संदर्भित पेरा-4)

प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप

विद्यालय का नाम.....

आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क सीट्स पर "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के प्रवेश हेतु

आवेदन-पत्र

(भाग-अ)

प्रवेशार्थी

का फोटो

1. प्रवेशार्थी की सूचना:-

- 1.1 प्रवेश हेतु कक्षा
- 1.2 प्रवेशार्थी का नाम.....
- 1.3 लिंग
- 1.4 आधार न. (यदि उपलब्ध हो).....
- 1.5 जन्म तिथि (अंको में)/...../..... (शब्दों में).....
- 1.6 जाति वर्ग(SC/ST/OBC/SBC/GEN).....
- 1.7 प्रवेशार्थी का धर्म
- 1.8 क्या प्रवेशार्थी विशेष आवश्यकता (CWSN) श्रेणी में आता है ?

2. प्रवेशार्थी के अभिभावक से सम्बन्धित सूचना:-

- 2.1 पिता का नाम..... 2.2 आधार न. (यदि उपलब्ध हो).....
- 2.3 माता का नाम..... 2.4 आधार न. (यदि उपलब्ध हो).....
- 2.5 संरक्षक का नाम (यदि लागू हो)..... 2.6 आधार न. (यदि उपलब्ध हो).....
- 2.7 क्या अभिभावक (BPL) श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं ?
- 2.8 संरक्षक/अभिभावक (परिवार) की कुल वार्षिक आय (रुपये में)-
- 2.9 माता/पिता/संरक्षक का मोबाइल नं.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. माता/पिता/संरक्षक का पूरा पता (संलग्न दस्तावेज के अनुसार):-

ग्राम का नाम/वार्ड नं0..... पिन कोड

--	--	--	--	--	--	--	--

ग्राम पंचायत या नगर पालिका/परिषद/निगम का नाम

ब्लॉक जिला.....

4. प्रवेशार्थी का वर्ग(संबंधित बॉक्स में ✓ करें):-

4.1 दुर्बल वर्ग

4.1.1 अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक है।

4.2 असुविधाग्रस्त समूह

4.2.1 अनुसूचित जाति

4.2.2 अनुसूचित जनजाति

4.2.3 बालक अनाथ आश्रम का निवासी है।

4.2.4 बालक/बालक के माता/पिता या संरक्षक एचआईवी से प्रभावित है।

4.2.5 बालक/बालक के माता/पिता या संरक्षक कैंसर ग्रस्त है।

4.2.6 बालक की माता युद्ध विधवा है।

4.2.7 बालक निःशक्त जन अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बालक की श्रेणी में है।

विशेष आवश्यकता की श्रेणी.....

4.2.8 पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक है।

4.2.9 बीपीएल एल क्रमांक..... केन्द्र/राज्य सूची.....

5. निवास के सम्बन्ध में विकल्प:-

बालक उस वार्ड (शहरी क्षेत्र के लिए) अथवा ग्राम (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) का निवासी है जिसमें विद्यालय स्थित है।

क्या बालक उस वार्ड (शहरी क्षेत्र के लिए) अथवा ग्राम(ग्रामीण क्षेत्र के लिए) से बाहर का लेकिन उस शहरी स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत का निवासी है जिसमें विद्यालय स्थित है।

नोट :-1 आयु, जाति, निवास स्थान, बीपीएल सूची, विकलांगता के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

2. बालक/बालिकाकी आधार संख्या उपलब्ध न होने की स्थिति में आधार कार्ड बनवाया जाना अथवा आधार कार्ड हेतु पंजीयन करवाया जाना शीघ्र सुनिश्चित करें तथा यह नम्बर विभाग द्वारा विद्यालय के करवाए जाने वाले भौतिक सत्यापन से पूर्व सम्बन्धित विद्यालय को उपलब्ध करवा दें।

3. ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं के संलग्न दस्तावेजों से मिलान नहीं होने पर अथवा किसी दस्तावेज के अपूर्ण/गलत पाये जाने पर आवेदन पत्र/निःशुल्क प्रवेश को निरस्त कर दिया जायेगा।

4. आवेदन के समय बालक की जन्म तिथि हेतु जन्म प्रमाण पत्र के स्थान पर कोई अन्य दस्तावेज दिया गया है तो प्रवेश उपरान्त जन्म प्रमाण-पत्र बनवाकर विभाग द्वारा बालकों के भौतिक सत्यापन से पूर्व विद्यालय को उपलब्ध करवा दिया जाए।

(भाग-ब)

माता/पिता/संरक्षक द्वारा सशपथ घोषणा

1. मैं सशपथ घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में प्रवेशार्थी व स्वयं के सम्बन्ध में दी गई समस्त सूचनाएँ सही हैं। किसी भी प्रकार की गलत सूचना के लिये मैं सदैव जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।
2. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि विद्यालय के नियमों/उप नियमों का सदैव पालन करूंगा/करूंगी।
3. मुझे यह ज्ञात है कि आवेदन क्रमांक के माध्यम से मुझे इस आवेदन की स्थिति की जानकारी मिलती रहेगी। मैं आवेदन क्रमांक को समय-समय पर लॉगिन कर इस जानकारी के अनुरूप विद्यालय रिपोर्टिंग तथा दस्तावेजों में पाई गई कमियों की पूर्ति निर्धारित समय पर करूंगा। टाईम फ्रेम अनुरूप कार्य नहीं करने पर मेरा आवेदन स्वतः ही निरस्त समझा जावे।

आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक :

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(माता/पिता/संरक्षक)

परिशिष्ट -3(संदर्भित अध्याय- 2 का पैरा-8)

प्रवेश प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण

उदाहरण- 1: एक निजी विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में किसी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित है। इस ग्राम पंचायत में 15 वार्ड हैं जिनमें से 6 वार्ड ग्राम पंचायत मुख्यालय के गांव से संबंधित है तथा शेष वार्ड अन्य छोटे गांवों और ढाणियों से संबंधित हैं। ऐसी स्थिति में चयन की प्रक्रिया निम्नप्रकार होगी :-

1. विद्यालय की एन्ट्री कक्षा में प्रवेश की क्षमता- 40
2. अधिनियम 2009 के अनुसार : 25 प्रतिशत सीट्सकी संख्या- 10
3. ग्राम पंचायत परिक्षेत्र से प्राप्त आवेदन पत्र- 50 (अनाथ/दिव्यांग बालकों के आवेदन 05)
4. उपरोक्त आवेदन पत्रों में से स्कूल से संबंधित गांव से प्राप्त आवेदन- 30 (अनाथ/दिव्यांग बालकों के आवेदन 03)
5. ग्राम पंचायत के अन्य गांव/ढाणी से प्राप्त आवेदन- 20 (अनाथ/दिव्यांग बालकों के आवेदन 02)

उपरोक्त विवरण के आधार पर वरीयता सूची तैयार करने हेतु निकाली जाने वाली लॉटरी में ग्राम पंचायत परिक्षेत्र से प्राप्त सभी-50 आवेदन पत्र शामिल किये जाएंगे जिनकी वरीयता सूची निम्नानुसार तैयार की जायेगी।

01. स्कूल से संबंधित गांव से प्राप्त अनाथ/दिव्यांग बालकों के आवेदन:- वरीयता क्रम 01 से 03
02. स्कूल से संबंधित गांव से प्राप्त शेष बालकों के आवेदन:- वरीयता क्रम 04 से 30
03. ग्राम पंचायत के अन्य गांव/ढाणी से प्राप्त अनाथ/दिव्यांग बालकों के आवेदन वरीयता क्रम 31 से 32
04. ग्राम पंचायत के अन्य गांव/ढाणी से प्राप्त शेष बालकों के आवेदन वरीयता क्रम 33 से 50

उदाहरण- 2 : एक निजी विद्यालय शहरी क्षेत्र केवार्ड संख्या 17 में स्थित है। इस शहरी निकाय (नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम) में कुल 45 वार्ड है, ऐसी स्थिति में चयन की प्रक्रिया निम्नप्रकार होगी :-

1. विद्यालय की एन्ट्री कक्षा में सीट्स की संख्या- 60
2. अधिनियम 2009 के अनुसार : 25 प्रतिशत सीट्सकी संख्या-15
3. शहरी निकाय परिक्षेत्र से प्राप्त आवेदन पत्र- 80 (अनाथ/दिव्यांग बालकों के आवेदन 10)
4. उपरोक्त आवेदन पत्रों में से विद्यालय से संबंधित वार्ड सं. 17 से प्राप्त आवेदन- 10 (अनाथ/दिव्यांग बालकों के आवेदन 02)
5. शहरी निकाय के अन्य 44 वार्डों से प्राप्त आवेदन- 70 (अनाथ/दिव्यांग बालकों के आवेदन 08)

उपरोक्त विवरण के आधार पर वरीयता सूची तैयार करने हेतु निकाली जाने वाली लॉटरी में शहरी निकाय से प्राप्त सभी-80 आवेदन पत्र शामिल किये जाएंगे जिनकी वरीयता सूची निम्नानुसार तैयार की जायेगी:-

01. स्कूल से संबंधित वार्ड-17 से प्राप्त अनाथ/दिव्यांग बालकों के आवेदन:- वरीयता क्रम 01 से 02
02. स्कूल से संबंधित वार्ड-17 से प्राप्त शेष बालकों के आवेदन:- वरीयता क्रम 03 से 10
03. शहरी निकाय के अन्य 44 वार्डों से प्राप्त अनाथ/दिव्यांग बालकों के आवेदन:-वरीयता क्रम 11 से 18
04. शहरी निकाय के अन्य 44 वार्डों से प्राप्त शेष बालकों के आवेदन:-वरीयता क्रम 19 से 80

नोट: विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा हेतु आरक्षित सीट्स पर प्रवेश के लिए पर्याप्त संख्या में दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक पात्र नहीं पाये जाने की स्थिति में भी विद्यालय के कैचमेन्ट एरिया से बाहर के बालकों को इन सीट्स पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

परिशिष्ट -4
सामान्यतया पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उनके उत्तर

प्रश्न -1 यदि किसी कारणवश निःशुल्क प्रवेशित बालक शैक्षिक सत्र के बीच में विद्यालय छोड़ दे तो इसके पुनर्भरण का क्या होगा ?

उत्तर - गैर सरकारी विद्यालय की एन्ट्री लेवल कक्षा में प्रवेशित केवल उन्हीं छात्रों का पुनर्भरण होगा जो सत्र पर्यन्त अध्ययनरत रहा है। बालक द्वारा विद्यालय छोड़ने/टी.सी.लेकर अन्य विद्यालय में चले जाने/बिना टी.सी. लिये किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश ले लेने/छात्र की मृत्यु हो जाने आदि कारणों से उस विद्यालय का विद्यार्थी नहीं रहा हो, तो ऐसे छात्र की फीस का पुनर्भरण सरकार द्वारा नहीं किया जायेगा यह सत्यापन दल सुनिश्चित करेगा। सत्यापन दल यह भी आकलन करेगा कि विद्यालय से ड्राप आउट बालकों की फीस के पुनर्भरण पेटे कितनी राशि विद्यालय को भुगतान की जा चुकी है। यदि निःशुल्क प्रवेशित बालक सत्रारम्भ से 31 अगस्त के मध्य कभी भी उपरोक्त वर्णित कारणों से ड्राप आउट हुआ है तो विद्यालय को उस बालक के सम्बन्ध में प्रथम किश्त का तो पुनर्भरण होगा परन्तु द्वितीय किश्त का पुनर्भरण नहीं होगा।

प्रश्न -2 निजी स्कूलों के भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र हेतु राज्य सरकार से क्या निर्देश है ?

उत्तर - बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित स्कूल भवन होना आवश्यक है। अतः यह आवश्यक है कि जो निजी शैक्षिक भवन 50 वर्ष तक पुराने हैं, उनके संबंध में प्रत्येक 3 साल में एक बार P.W.D.अथवा अन्य राजकीय उपक्रम/हाउसिंग बोर्ड/स्थानीय निकाय के सहायक अभियन्ता से भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लिया जावे।

प्रश्न -3 यदि कोई विद्यालय पूर्णतः बाहरी अनुदान से संचालित होता है तथा किसी भी बच्चे से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। क्या उस विद्यालय को आरटीई के अन्तर्गत 25प्रतिशत सीट्सपर निःशुल्क प्रवेश देने हैं?

उत्तर - ऐसे विद्यालयों को भी 25 प्रतिशत सीट्सपर "दुर्बलवर्ग" व "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बालकों को निःशुल्क प्रवेश देने है, लेकिन इन विद्यालयों को फीस का पुनर्भरण देय नहीं होगा।

प्रश्न -4 यह कैसे स्पष्ट हो कि कोई विद्यालय अल्पसंख्यक विद्यालय की श्रेणी में आता है तथा वह आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेश के दायरे से बाहर है ?

उत्तर - राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं केन्द्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29/30 के अन्तर्गत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएँ घोषित की जाती है। अतः इन विभागों द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ही विद्यालय को अल्पसंख्यक की श्रेणी में माना जायेगा।

प्रश्न -5 क्या विद्यालय में निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत विद्यार्थी द्वारा पुनः आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर - विद्यालय में निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत विद्यार्थी द्वारा पुनः आवेदन नहीं किया जा सकेगा। इस हेतु इस बार से आवेदन करते समय आधार नम्बर या आधार पंजीयन नम्बर की एन्ट्री करनी अनिवार्य होगी।

वार्ड परीसीमन के कारण वार्ड परिवर्तित होने की स्थिति में संबंधित सरपंच/वार्ड पंच/पार्षद/बीएलओ एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदनकर्ता का नाम
.....पुत्र/पुत्री श्री आवेदन कर्ता का निवास स्थान
..... गांव/वार्ड संख्यावर्तमान में
पूर्ण रूप से सत्य है। वार्ड परीसीमन से पूर्व इस निवास स्थान का गांव/वार्ड संख्या
..... था। इसमें किसी भी तथ्य को छुपाया/घटाया या बढ़ाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

संबंधित सरपंच/वार्ड पंच/पार्षद/बीएलओ

नाम

पद.....

मोहर

हस्ताक्षर

राजपत्रित अधिकारी

नाम

पद.....

मोहर